कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

क्षेत्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र — **REGIONAL OFFICE, MAHARASHTRA**

341, भविष्य निधि भवन, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Bhavishya Nidhi Bhavan, 341, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

MH / BAN / 48859 / PF / 20NE III / 030 / 71 / 80 Date : 8-6-07

सेवा में, To, M/s. Maximator India Pvt. Ltd.
6th, Veena Killedar Indl. Estate
10/14 Pais Street, Byculla (W)
Mumbai - 11

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 कोड संख्या का आबंटन

Sub : Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 allotment of code number.

महोदय / Sir,

मेसर्स ____________ उद्योग/स्थापना अपनी सभी शाखाओं एवं विभागों सहित कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 तथा उसके अधीन निर्मित योजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत दिनांक ____________ से लायी जाती है ।

The factory / establishment M/s. Maximator India Pvt. Ltd. with all its brances and departments are brought within the purview of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from 1-5-2007

इसे कोड संख्या महा/बान्द्रा/ ____________ आबंटित किया गया है । इस कार्यालय के साथ होने वाले भविष्य के सभी पत्राचार में यह संख्या उद्धृत की जाए ।

A code No. M.H/BAN/ 48859 has been alloted to it. This number may be quoted in all future correspondence with this office.

इस कार्यालय को उपलब्ध सूचना अनुसार -
As per information available with this office -

(A) आपका उद्योग ____________ में आबध है जो अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित उद्योगों मे से एक है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 (3) लागू होती है ।

Your factory is engaged in ____________ which is one of the industries specified in Schedule I of the Act to which the Employees Provident Funds and Miscellanceous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3)

(B) आपकी स्थापना ____________ के रूप में वर्गीकृत है जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा (1) 3 (बी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना लागू की गयी है ।

Yours is an establishment classified as ____________ to which the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1 (3) (b) of the Act.

आपके आवेदन संख्या ____________ दिनांक ____________ के संदर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विस्तार के लिए अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर यह कोड संख्या आबंटित की जाती है । यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा 4 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना का एक लम्बित मामला है ।

This code number is alloted with reference to your application No. NIL dated 30.5.2007 for extension of Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions

(vi)	प्रपत्र सं. 12 - ए From No. 12A	यह अंशदान का मासिक रिटर्न है तथा इसे प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रस्तुत करें । इस प्रपत्र के साथ उपरोक्त पैरा 7 एवं 8 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक में जमा किए चालान की प्रतिया भी सलग्न करें । **This is the monthly return of contributions and is to be forwarded by 25th of every month. Copies of the challan, in support of the deposits made in the State Bank of India as per para 7 & 8 above are to be attached with this forms.**
(vii)	प्रपत्र सं. 5 & 10 From Nos. 5 & 10	ये उन कर्मचारियों का रिटर्न है जो नए सदस्य बने हैं अथवा जिन्होंने माह में नौकरी छोड़ दी है । इसे प्रत्येक माह की 25 तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करें । **These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month. This is to be forwarded to office by 25th of every month.**

10. जैसा कि ऊपर है, आपकी स्थापना/उद्योग आबंटित कोड संख्या महा/...................... है । प्रपत्र सं. 9 के अनुसार क्रमबद्ध रुप में आप सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से अलग से खाता सं. आबंटित कर सकते हैं । वैयक्तिगत खाता संख्या महा/बांद्रा/...................../1, महा/बान्द्रा/...................../2, महा/बांद्रा/...................../3, या इसी प्रकार आगे भी होगी । एक बार सदस्य को आबंटित की गयी संख्या किसी भी तरह दूसरे सदस्य को आबंटित नहीं की जाएगी चाहे उसका खाता बन्द हो गया । इस प्रकार आबंटित की गयी खाता संख्या प्रत्येक सदस्य को सूचित करें तथा वे इस संख्या को सभी पत्राचार में कार्यालय उद्द करने के लिए कह सकते हैं ।

As stated above, the code number alloted to your factory / establishment is MH/BAN 48859
The account number for individual members may be alloted serially as it appear in form No. 9. The individual member should be prefixed by the code number alloted to the establishment. Thus the Account number of individual members will be MH/BAN/ 48859 /1, MH/BAN/ 48859 /2, MH/BAN/ 48859 /3 and so on. Account number once alloted to a member should in no case be alloted to another member even after the closing of his account. The account number alloted may be intimated to each member and to the quoted is all correspondence with this office.

11. यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निधि के रूप में देय राशि का भुगतान निर्धारित समय से किया गया है । भुगतान में की गयी किसी भी देरी के लिए धारा 7-क्यु के अन्तर्गत ब्याज तथा पैरा 14-बी के अन्तर्गत नुकसान का उद्ग्रहण किया जाता है । अधिनियम अथवा योजना के उपबंधों के किसी भी उलंघन के लिए विभिन्न दण्ड विधानों को लागू किया जा सकता है ।

It is important to ensure that the amount due to the fund is paid within the prescribed time limit. Damages under para 1 4B and interest under Section 7Q are levied for any delays in making payments. Various penal provisions could also be revoked for any violation of the privisions of the Act or the Schemes.

12. इस कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी आपकी स्थापना का दौरा करेंगे । आपसे अनुरोध है कि आवश्यक सहयोग करें । अगर आपको कोई कठिनाई हो अथवा दिशा - निर्देश चाहते हैं तो कृपया निसंकोच इस कार्यालय से सपर्क करें ।

An Enforcement Officer of this office will be visiting your establishment. You are requested to afford him necessary cooperation. If you experience any difficulty or need any guidance, please feel free to contact this office.

सभी प्रकार के सहयोग का आश्वासन ।

Assuring you all cooperation,

Encl. : (1) Form No. 5A
(2) Form for allotment of Business Code No.

भवदीय,
Yours faithfully,

Code number is issued subject to the verification of various other records submitted by the team of officers of EPFO. If the submission for the coverage made by you is wrong, action as deemed it will be initiated apart from preponing the coverage as the case may be.

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
Regional Provident Fund Commissioner
महाराष्ट्र
Maharashtra

प्रति : 1) लेखा अनुभाग
2) प्रवर्तन अधिकारी